

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 186/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/265

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. मनीराम पुत्र आदूराम जाति जाट साकिन नाहरावाली तहसील अनूपगढ़

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, अप्रार्थी

—: निर्णय :-

दिनांक : 06/05/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी के विरुद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम नारावाली में खसरा सं. 133 में कुल 66.16 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान सूची नं. 4 में उक्त रकबा चक 2 एनएम के प.नं. 22/48 कि. नं. 4-5 कुल 2 बीघा, प.नं. 22/54 कि.नं. 2, 9 ता 12, 20, 21 कुल 7 बीघा व प नं. 22/55 कि.नं. 15 ता 17, 19 ता 25 कुल 10 बीघा इस प्रकार कुल 19 बीघा रकबा सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित 19 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया है। साथ ही याचिका सं. 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़ नाला, तालाब नदी के कैचमेन्ट ऐरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना है। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132/11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज-6/2001 पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज-7/2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) व 16(6) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 2 एनएम के प.नं. 22/48 मु.नं. 19 कि.नं. 4-5 कुल 0.506 है., प.नं. 22/54 मु.नं. 6 कि.नं. 2, 9ता12, 20 व 21 कुल 1.771 है., प.नं. 22/55 मु.नं. 15 कि.नं. 15ता17/0.759, 19-20/0.506, 21/0.227, 22/0.227, 23/0.228, 24/0.228, 25/0.228 कुल 2.4.03 है. कुल योग 4.680 है. भूमि अप्रार्थी के दादा को आवंटन थी जो वर्तमान रिकार्ड में पौत्र अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हैं। अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये योग्य हैं। आवंटन निरस्त कर भूमि गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने हेतु माननीय स. मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव नाहरावाली में खसरा नं. 133 के कुल 66.16 बीघा भूमि जोहड़ पायतन की हो ऐसा सबूत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्णित भूमि जोहड़ पायतन



जिला कलक्टर
अनूपगढ़

हो ऐसा विवरण प्रार्थी द्वारा 40 वर्षों पश्चात किया गया है, जो कानूनन अहमियत नहीं रखता है। हस्तगत प्रकरण में राज.काश्त.अधि. की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते। अधिनियम के 1955 में प्रभाव में आने से पूर्व वर्ष 1942 में अप्रार्थी के वालिद के नाम से खसरा नं. 129,131,132 व 134 व 108 में कृषि भूमि राजा महाराजाओं द्वारा प्रदत्त की गई थी। खातेदारी भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में खातेदारी जारी करने के उपरांत भूमि का आवंटन निरस्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को होने के कारण प्रस्तुत रेफरेंस विधि द्वारा वर्जित है। अप्रार्थी के वालिद केसर पत्नी रामजी जाखड, सरदारा, पन्ना बल्द दूदा जाखड के नाम से गांव नाहरावाली तहसील अनूपगढ निजामत सूरतगढ बीकानेर स्टेट द्वारा सैटलमेंट कमीशनर के द्वारा दिनांक 28.04.1942 को खसरा नं. 129 में 51.05, खसरा नं. 131 में 20 बीघा, खसरा नं. 134 में 25.12 बीघा, खसरा नं. 108 में 81 बीघा, खसरा नं. 132 में 48.6 बीघा कुल 226.03 बीघा विरास्तन इन्तकाल के रूप में दर्ज हुई तत्पश्चात उक्त खसरा नं. का सूची नम्बर 4 में एकीकरण किया गया तदुपरांत सूची नम्बर 8 में चकबन्दी व मुरब्बाबन्दी की गई ऐसी स्थिति में जोहड पायतन के तथ्य इस प्रकारण पर लागू ना होने के कारण बिना किसी जांच के प्रस्तुत किया गया यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। नाहरावाली आबादी में जोहड पायतन का जो कुआं मु.नं. 22/61 में स्थित है जबकि अप्रार्थी की भूमि मु.नं. 22/61 में स्थित नहीं है एवं जो जोहड पायतन की भूमि दर्शायी गई है वह बिना किसी जांच के, बिना किसी दस्तावेज के व बिना किसी रिपोर्ट के दर्शायी गई है। रेफरेंस खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया।

अप्रार्थी अधिवक्ता बहस में निवेदन किया कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की जिस भूमि को जोहड पायतन की भूमि होना अंकित किया गया है, वह सही नहीं है। जबकि जोहड की भूमि पृथक जगह पर है। भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त राज.काश्त.अधि. की धारा 16 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते क्योंकि अधिनियम के 1955 में प्रभाव में आने से पूर्व वर्ष 1942 में अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम से खसरा नं. 129,131,132 व 134 व 108 में कृषि भूमि राजा महाराजाओं द्वारा प्रदत्त की गई थी। खातेदारी भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में खातेदारी जारी करने के उपरांत भूमि का आवंटन निरस्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। नाहरावाली आबादी में जोहड पायतन का जो कुआं मु.नं. 22/61 में स्थित है जबकि अप्रार्थी की भूमि मु.नं. 22/61 में स्थित नहीं है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि का जोहड होने का कथन बिना किसी जांच के किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान है कि -

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board - The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;



जिला कलेक्टर
अनूपगढ़

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

5. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप है।
6. अप्रार्थी द्वारा मु.नं. 22/61 में जोहड़ होने का कथन किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा मु.नं. 22/48, 22/54, 22/55 में जोहड़ होने का अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। अप्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गयी है कि मौका स्थिति अनुसार अप्रार्थी की भूमि में जोहड़ नहीं होकर अन्य जगह पर स्थित है। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची नं. 4 आदि के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः उक्त भूमि का पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय कौशिक)
जिला अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़